रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 1993/भाद्र 5, 1915
No. 510] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 1993/BHADRA 5, 1915

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1993

का. आ. 646(अ)—राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पठित, उस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (क) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सभा में उन चार नामनिर्देशित सदस्यों के, जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर निवृत्त हो गये, स्थान को भरने के लिये उस सदन में चार सदस्यों को नामनिर्देशित किया है,

अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित सदस्यों का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है :—

1. डा. एम. आरम
2. डा. विधु भूषण दत्त
3. श्रीमती वैजयंतीमाला बाली
4. श्री मौलाना हबीब-उर-रहमान

[फा. सं. 13(6)/93-वि-II]

पी. एल. सकरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1993

S.O. 646(E).—Whereas the President, in exercise of the powers conferred on him by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution, read with clause (3) of that article, has nominated four members to the Council of States to fill the seats of the four nominated members in that House, who retired on the expiration of the term of their office ;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the names of the following members nominated by the President are hereby notified for general information :—

1. Dr. M. Aram
2. Dr. Bidhu Bhushan Dutta
3. Smt. Vyjayantimala Bali
4. Shri Maulana Habib-ur-Rehman Numani

[No. F. 13(6)/93-Leg.II]

P. L. SAKARWAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1993

का. आ. 647(अ).—राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पठित, उस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (क) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सभा में उस स्थान को भरने के लिये एक सदस्य को नामनिर्देशित किया है, जो श्री सतपाल मित्तल की मृत्यु पर रिक्त हुआ था ;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है :—

1. श्री महेंद्र प्रसाद

[एफ सं. 13/6/93-वि.-II]

पी. एल. सकरवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1993

S.O. 647(E).—Whereas the President, in exercise of the powers conferred on him by sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution, read with clause (3) of that article, has nominated a member to the Council of States to fill the seat which fell vacant on the death of Shri Satpal Mittal ;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the following member nominated by the President is hereby notified for general information :—

Shri Mahendra Prasad

[No. F. 13(6)/98-Leg.II]

P. L. SAKARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993